नम्बर व ता[illegible]
अहकाम जो इ[illegible]
की तामील मे उ[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
[illegible] अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह)
[illegible] अधिकारी :– *श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

[illegible]/12

तारीख रजू	तारीख निर्णय
19.06.2012	17.05.2018

उनवान

1. [illegible] पुत्र धोला
2. [illegible] पुत्र धोला
3. [illegible] कुमार पुत्र धोला जातियान मेघवाल निवासी खोह तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. [illegible] पुत्र श्री भीमराज
2. [illegible] पुत्र श्री भीमराज
3. [illegible] पुत्र श्री भीमराज
4. [illegible] पुत्र हीरालाल
5. [illegible] पुत्र हीरा लाल
6. [illegible] पुत्र रामकुवार
7. [illegible] पुत्र श्री रामकुवार
8. [illegible] पुत्र घीसाराम
9. [illegible] पुत्र घीसाराम
10. [illegible] पुत्र श्री घीसाराम
11. [illegible] पुत्र प्रेम सुखदास
12. [illegible] पुत्र आनन्दीलाल
13. [illegible] पुत्र श्री आनन्दीलाल
14. [illegible] पुत्र श्री छीतरमल
15. [illegible] पुत्र ताराचन्द जाति महाजन निवासियान ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला [illegible]।
16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसलीदार(भू0अ0) रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल खसरा नम्बर 660 [illegible] हैक्टे0 कायम हुए है वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी [illegible] विवादित है। विवादित आराजी पर पूर्व में मिन वादीगण का पिता अरसे दराज से काबिज [illegible] करता चला आ रहा था और जिस बाबत वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड [illegible] चला आ रहा है। वादीगण के पिता का देहान्त हो गया और उसके मरने के बाद [illegible] विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है और

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

ाज भी मौके पर हमारा कब्जा हम वादीगण प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से न कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के अधिकारी है। इसलिए ीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती किया जाकर दीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्याय संगत है। ीगण प्रभावशाली व्यक्ति है तथा गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण मिन वादीगण स्त लट्‌ठ के बल पर बेदखल कर आराजी मुतनाजा को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के उपरोक्त आराजी से हमे जबरन बेदखल कर मुतनाजा को रहन, बैय व हिबा करके मुन्तकिल व मकफूल कर दिया तो मिन वादीगण र्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना न्याय संगत है।

तः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि हाल खसरा नम्बर 660 रकबा 1.05 कायम हुए है वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है के वादीगण काश्तकार खातेदार है, और काबिज है, और जमाबन्दी कागजातमाल आदि में दीगण के नाम का जो गलत इन्द्राज हो रहा है एवं वादीगण के पिता जो शिकमी दर्ज कर है उसके कलमजन करवाकर अपने आपको राजस्व रिकार्ड आदि में काबिज काश्तकार र दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 15 का नाम कलमजन कर को समान भाग का खातेदार घोषित किया जावें।

दीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। दीगण की ओर से न्यायालय में तामिल बावजूद उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध ीय कार्यवाही की गई।

त्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह में दिनांक 17.05. को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। मुताबिक न्दी सम्वत 2024 में रामकुवार वगैराह गैरखातेदार मु0 खाता नम्बर 290 मारफत नानगा सा0 देह मजारा शिकमी दर्ज रिकार्ड है। तथा जमाबन्दी सम्वत 2064–67 में खाता सं0 रामकुवार वगैराह गैरखातेदार मु0 खाता नं0 290 मार्फत धोला पुत्र नानगा चमार सा0 देह शिकमी दर्ज रिकार्ड है। जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित आराजी पर वादीगण का पिता अरसे दराज से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था और ·

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

बाबत वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। वादीगण के देहान्त हो गया और उसके मरने के बाद वादीगण विवादित आराजी पर काबिज रहकर करते चले आ रहे है और काबिज है और आज भी मौके पर कब्जा वादीगण का है। प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 15 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर वादीगण को आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्याय संगत है।

आदेश

दीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा 660 रकबा 1.05 हैक्ट0 कायम हुए है वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर में है, में प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 15 के नाम का जो गलत इन्द्राज हो रहा है एवं वादीगण का जो शिकमी दर्ज कर रखा है उसके कलमजन कर वादीगण को समान भाग का काबिज कार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि वादी सं0 1 ला0 15 का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण को न भाग का काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावे। सली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट खोह में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

	तारीख रजू	तारीख निर्णय
30/12	19.06.2012	17.05.2018

उनवान

1. रतनलाल पुत्र धोला
2. सोहनलाल पुत्र धोला
3. सतीश कुमार पुत्र धोला जातियान मेघवाल निवासी खोह तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. रामकुवार पुत्र श्री भीमराज
2. छीतरमल पुत्र श्री भीमराज
3. हीरालाल पुत्र श्री भीमराज
4. सूरजमल पुत्र हीरालाल
5. चन्दगीलाल पुत्र हीरा लाल
6. शादीलाल पुत्र रामकुवार
7. नारायणलाल पुत्र श्री रामकुवार
8. दयाराम पुत्र घीसाराम
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र घीसाराम
10. भगवानदास पुत्र श्री घीसाराम
11. आनन्दीलाल पुत्र प्रेम सुखदास
12. औमप्रकाश पुत्र आनन्दीलाल
13. वेदप्रकाश पुत्र श्री आनन्दीलाल
14. ताराचन्द पुत्र श्री छीतरमल
15. धनपाली पुत्र ताराचन्द जाति महाजन निवासियान ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर।
16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसलीदार(भू0अ0) रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 660 रकबा 1.05 हैक्ट0 कायम हुए है वाके ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, में प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 15 के नाम का जो गलत इन्द्राज हो रहा है एवं वादीगण के पिता जो शिकमी दर्ज कर रखा है उसके कलमजन कर वादीगण को समान भाग का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 ला0 15 का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण को समान भाग का काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़
रामगढ़ (अलवर)